भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3352
दिनांक 12 मार्च, 2026

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बजट आवंटन और प्रोत्साहन

†3352. श्री सौमेंदु अधिकारीः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2020 से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लिए अनुमानित, स्वीकृत और उपयोग किए गए बजट का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 2020 से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के राशन कार्ड धारकों को हस्तांतरित प्रोत्साहन का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) मई 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उदेश्य देश भर के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन देना था। पीएमयूवाई के तहत 8 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य सितंबर 2019 में पूरा हो गया था। शेष गरीब परिवारों को कवर करने के लिए, उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ अगस्त 2021 में किया गया था, जिसका लक्ष्य 1 करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शन देना था, जो जनवरी 2022 में पूरा हो गया। तदुपरान्त, सरकार ने उज्ज्वला 2.0 के तहत 60 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन देने का निर्णय लिया और दिसंबर 2022 में 1.60 करोड़ उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन देने का लक्ष्य भी पूरा कर लिया गया। इसके अलावा, सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए पीएमयूवाई योजना के तहत 75 लाख अतिरिक्त कनेक्शन देने को मंज़ूरी दी, जो जुलाई 2024 में पूरा हो गया।

सरकार ने हाल ही में लंबित आवेदनो को निपटाने और देश में एलपीजी की पहुंच में सतुष्टि प्राप्त करने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पीएमयूवाई के तहत 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन देने को मंज़ूरी दी है।

गरीब परिवार की वयस्क महिला, जिसके परिवार में पहले से एलपीजी कनेक्शन नहीं है, वह निर्धारित मानदंड के अनुसार पात्रता स्थापित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ केवाईसी आवेदन प्रपत्र और वंचना घोषणा प्रस्तुत करके योजना के तहत आवेदन कर सकती है। दिनांक 01.03.2026 की स्थिति के अनुसार, देश भर में लगभग 10.56 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन थे।

शुरुआत से लेकर वित्त वर्ष 2022-23 तक आरम्भ के 9.60 करोड़ कनेक्शन के लिए, सरकार ने सिलेंडर के सुरक्षा जमा राशि (एसडी), प्रेशर रेगुलेटर, सुरक्षा होज़, डीजीसीसी पंजीका और स्थापना शुल्क के लिए प्रति पीएमयूवाई कनेक्शन पर 1600 रुपये प्रदान किए थे। वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए अनुमोदित आगामी 75 लाख कनेक्शन के लिए, यह व्यय बढ़ाकर 14.2 किलोग्राम एकल बॉटल कनेक्शन / 5 किलोग्राम डबल बॉटल कनेक्शन के लिए 2,200 रुपये प्रति कनेक्शन और 5 किलोग्राम एकल बॉटल कनेक्शन के लिए 1,300 रुपया प्रति कनेक्शन कर दिया गया । चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, सरकार ने 2,050 रुपये प्रति कनेक्शन की दर से 25 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने को मंज़ूरी दी है।

पीएमयूवाई उपभोक्ताओ के लिए एलपीजी को और अधिक किफायती बनाने और उनके द्वारा एलपीजी का लगातार उपयोग को सुनिश्चित बनाने के लिए, सरकार ने मई 2022 में पीएमयूवाई उपभोक्ताओ के लिए 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 200/-₹ की निर्धारित राजसहायता (और 5 किलोग्राम कनेक्शन के लिए आनुपातिक रूप से यथानुपातिक) शुरू की, जिसे बाद में बढ़ाकर प्रति 14.2 (और 5 किलोग्राम कनेक्शन के लिए आनुपातिक रूप से यथानुपातिक)किलोग्राम सिलेंडर पर 300/-₹ कर दिया गया । वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, सरकार हर वर्ष 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के 9 रिफिल तक (5 किलोग्राम कनेक्शन के लिए आनुपातिक रूप से यथानुपातिक) के लिए 300/- ₹प्रति सिलेंडर की निर्धारित राजसहायता दे रही है।

पीएमयूवाई के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार निधि का आवंटन नहीं किया जाता है। वित्त वर्ष 2020-21 से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत निधि का आवंटन और उपयोग का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपये में)

योजना	**वित्त वर्ष**	**कुल आवंटन (संशोधित अनुमान)**	**वास्तविक व्यय ***
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)	2020-21	9690.00	9235.42
	2021-22	1618.00	1568.44
	2022-23	8010.00	5663.38
	2023-24	8500.00	8500.00
	2024-25	12700.00	12700.00
	2025-26	12736.00	7765.00#

*आंकड़ों में पीएमयूवाई लाभार्थियों को मई 2022 से मिलने वाली निर्धारित राजसहायता शामिल है।

#यह वर्ष चल रहा है। आंकड़े फरवरी 2026 तक के हैं।

सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में तेल विपणन कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपये का मुआवज़ा दिया है और वित्त वर्ष 2025-26 में 30,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजे को मंजूरी दी है।

******